राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः प. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/128   दिनांकः 02.01.2026

आदेश

राज्य के समस्त जिलों की पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के आम चुनाव शीघ्र ही सम्पन्न कराये जाने है।

संविधान के अनुच्छेद 243K एवं 243ZA के अनुसार राज्य में क्रमशः पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों की मतदाता सूचियाँ तैयार करने तथा चुनावों के संचालन पर पर्यवेक्षण, नियंत्रण, निर्देशन की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने का है। इन निर्वाचनों के संचालन में सरकारी कार्मिकों, विशेषकर संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही, अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं कानून—व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व पुलिस प्रशासन का है ताकि निर्वाचनों के दौरान मतदाता बिना किसी दबाव के निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस प्रकार की कार्यवाही में पुलिस अधिकारीगण रेंज पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, उपपुलिस अधीक्षक (वृताधिकारी), थानाधिकारी तथा उपनिरीक्षक के साथ—साथ जयपुर, जोधपुर शहर में कार्यरत पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त एवं सहायक पुलिस आयुक्त की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

निर्वाचनों के दौरान उपरोक्त वर्णित अधिकारियों की अपने क्षेत्र में भूमिका निष्पक्ष एवं असंदिग्ध होना आवश्यक है। अतः समग्र परिस्थितियों का आकलन कर राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 243K एवं 243ZA में प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त सशक्त करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित आदेश जारी करता है—

पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के दिन से निर्वाचन समाप्ति तक,

(a) संभागीय आयुक्त, रेंज पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर, उपपुलिस अधीक्षक (वृत्ताधिकारी), तथा तहसीलदार के साथ—साथ जयपुर, जोधपुर शहर में कार्यरत पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त एवं सहायक पुलिस आयुक्त अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं रहे।

(b) आयुक्त नगरनिगम/नगरपरिषद, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, थानाधिकारी, नायब तहसीलदार एवं पुलिस उपनिरीक्षक उस नगरपालिका क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहे जो उनका गृह नगरपालिका क्षेत्र है।

(C) खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति, थानाधिकारी, नायब तहसीलदार एवं पुलिस उपनिरीक्षक उस पंचायत समिति क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहे जो उनका गृह पंचायत समिति क्षेत्र है।

(d) उपरोक्त खण्ड (a), (b) व (c) में वर्णित अधिकारी दिनांक 30.04.2026 को कट ऑफ डेट मानते हुए गत चार वर्षों में तीन वर्ष से अधिक की अवधि में उक्त जिला/नगरपालिका/पंचायत समिति क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहेगें, जहां पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के चुनाव होने है।

उपरोक्त मापदण्ड के विपरीत यदि कोई अधिकारी पदस्थापित है तो उसे वर्तमान पद से स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जावे। स्थानान्तरित करने की कार्यवाही **दिनांक 28.02.2026** तक आवश्यक रूप से संपन्न कर ली जायें।

मतदाता सूची की तैयारी से जुड़े अधिकारियों (उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार इत्यादि) का स्थानांतरण पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के आम चुनाव वर्ष, 2026 की मतदाता सूची का कार्य प्रारम्भ होने से पूर्ण होने (अंतिम प्रकाशन) तक आयोग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाये तथा यदि ऐसा कोई स्थानांतरण मतदाता सूची का कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कर दिया गया है तो उसकी क्रियान्विति मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक स्थगित रखी जावे।

इसके साथ ही चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े किसी भी पद पर ऐसे कार्मिक का पदस्थापन नहीं करे जिसके विरूद्ध गत चुनावों में भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संबंधी लापरवाही के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये हों।

चुनाव की घोषणा होने के पश्चात् निर्वाचन से किसी भी रूप से जुड़े हुए किसी भी कार्मिक का स्थानांन्तरण नहीं किया जाये किन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि ऐसा किया जाना आवश्यक हो अथवा किसी मामले में राज्य सरकार उपरोक्त मापदण्ड में शिथिलता चाहे तो ऐसे मामलों को राज्य निर्वाचन आयोग को पूर्ण विवरण के साथ भेजा जाये।

भवदीय,

2/1/26

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः प. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/129-142 दिनांकः 02.01.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. शासन सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
13. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
14. रक्षित पत्रावली।

02.01.2026

(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव